लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 288
दिनांक 04 फरवरी, 2025 / 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों को राहत सहायता

†288. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों दौरान बाढ़ या चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति या राहत सहायता का तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के लिए तामिलनाडु को कोई वित्तीय सहायता जारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षतिपूर्तियों की विशिष्ट प्रकृति क्या है;

(ग) अवसंरचना की हानि, कृषि क्षति और जीवन की हानि जैसी क्षतियों के प्रकारों का ब्यौरा क्या है, जिसके लिए सरकार ने प्रकृतिक आपदाओं के बाद तमिलनाडु को मुआवजा प्रदान किया है; और

(घ) हाल ही में हुई किसी प्राकृतिक आपदा के लिए तमिलनाडु से लंबित क्षतिपूर्ति या सहायता अनुरोधों की स्थिति क्या है और राज्य को शेष धनराशि, यदि कोई हो, कब तक मिलने की उम्मीद है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाते हुए अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर - मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ के तहत राशि राहत के तौर पर दी जाती है, न कि नुकसान कि क्षतिपूर्ति हेतु।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 288, दिनांक 04.02.2025

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2019-20 से 2023-24 के दौरान एसडीआरएफ के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि तथा केंद्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ से तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग): तमिलनाडु राज्य सरकार ने जैसा अपने ज्ञापन में बताया है, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 और चालू वर्ष अर्थात् 2024-25 (27.01.2025 तक) के दौरान हुए नुकसान का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	**आपदा**	**जीवन जन हानि (सं.)**	**पशु धन क्षति (सं.)**	**मकान क्षति (सं.)**	**प्रभावित फसल क्षेत्र (हेक्टेयर)**
2021-22	बाढ़	128	6516	48510	173269.13
2022-23	-	-	-	-	-
2023-24	चक्रवात मिचांग	17	384	2189	18755.49
	बाढ़	61	18213	18088	248303.50
2024-25	चक्रवात फेंगल	40	2991	10331	380985.97

(घ): नवंबर-दिसंबर, 2024 के दौरान तमिलनाडु राज्य ने चक्रवात 'फेंगल' के कारण भारी वर्षा का सामना किया है। राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना, केंद्र सरकार द्वारा 03.12.2024 को एक आईएमसीटी का गठन किया गया, जिसने 06.12.2024 से 09.12.2024 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 02.01.2025 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अस्थायी बहाली हेतु एनडीआरएफ से तत्काल सहायता के लिए 3104.93 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान लगाया गया है। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1260.00 करोड़ रुपये (944.80 करोड़ केंद्रीय हिस्सा + 315.20 करोड़ राज्य हिस्सा) आवंटित किए गए हैं। एसडीआरएफ का पूरा केंद्रीय हिस्सा 944.80 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार को अग्रिम रूप से जारी कर दिया गया है। इस प्रकार, राज्य के एसडीआरएफ खाते में राहत संबंधी आवश्यक उपायों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

******

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 288, दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ़) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ़) के अंतर्गत निधि का राज्यवार आवंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	राज्य	एसडीआरएफ़ से केंद्र और राज्य के हिस्से सहित आवंटन					एसडीआरएफ़ से केन्द्रीय हिस्सा जारी					एनडीआरएफ़ से जारी (सभी आपदाओं के लिए)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1.	आंध्र प्रदेश	534.00	1192.80	1192.80	1252.80	1315.20	324.15	895.20	895.20	940.00	987.20	570.91	657.01	351.43	--	--
2.	अरुणाचल प्रदेश	63.00	222.40	222.40	233.60	245.60	56.70	200.00	200.00	210.40	220.80	--	59.34	--	--	--
3.	असम	559.00	686.40	686.40	720.80	756.80	503.10	617.60	617.60	648.80	680.80	--	44.37	--	250.00	--
4.	बिहार	570.00	1510.40	1510.40	1586.40	1664.80	631.12	1132.80	1132.80	1189.60	1248.80	953.17	1255.27	1038.96	--	--
5.	छतीसगढ़	292.00	460.80	460.80	484.00	508.00	177.30	345.60	345.60	181.60	181.60#	--	--	--	--	--
6.	गोवा	4.00	12.00	12.00	12.80	12.80	4.20	9.60	9.60	9.60	9.60	--	--	--	--	--
7.	गुजरात	856.00	1412.00	1412.00	1482.40	1556.80	886.80	1059.20	1059.20	556.00	1140.00#	--	--	1000.00	--	--
8.	हरियाणा	374.00	524.00	524.00	550.40	577.60	227.10	392.80	392.80	412.80	433.60	--	--	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	287.00	363.20	363.20	380.80	400.80	197.23	327.20	327.20	342.40	360.80	518.06	2.90	--	214.26	787.25
10.	जम्मू & कश्मीर	310.00	--	--	--	--	405.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11.	झारखंड	442.00	605.60	605.60	635.20	667.20	331.50	454.40	454.40	--	476.80#	--	--	200.00	--	--
12.	कर्नाटक	336.00	843.20	843.20	885.60	929.60	204.00	632.80	632.80	664.00	697.60	3208.28	689.27	1623.30	939.83	--
13.	केरल	225.00	335.20	335.20	352.00	369.60	136.65	251.20	251.20	264.00	277.60	--	--	--	--	--
14.	मध्य प्रदेश	1066.00	1941.60	1941.60	2038.40	2140.80	647.10	1456.00	1456.00	1528.80	1605.60	1712.14	1891.79	600.50	--	--
15.	महाराष्ट्र	1803.00	3436.80	3436.80	3608.80	3788.80	1352.25	2577.60	2577.60	2706.40	2841.60	5189.40	420.12	1056.39	--	--
16.	मणिपुर	23.00	37.60	37.60	39.20	41.60	30.60	33.60	33.60	35.20	18.80	--	26.53	--	--	--
17.	मेघालय	29.00	58.40	58.40	60.80	64.80	38.70	52.80	52.80	27.20	27.20#	--	16.52	--	--	--
18.	मिजोरम	20.00	41.60	41.60	43.20	46.40	18.00	37.60	37.60	39.20	41.60	--	--	--	--	--
19.	नागालैंड	12.00	36.80	36.80	38.40	40.80	10.80	32.80	32.80	34.40	36.80	176.52	1.34	--	107.31	--
20.	ओडिशा	909.00	1711.20	1711.20	1796.80	1886.40	552.00	1283.20	1283.20	1348.00	1415.20	3294.10	500.00	500.00	--	--
21.	पंजाब	474.00	528.00	528.00	554.40	582.40	412.37	474.43	396.00	416.00	436.80	--	--	--	--	--
22.	राजस्थान	1340.00	1580.00	1580.00	1659.20	1742.40	1005.00	1184.80	1184.80	1244.80	1307.20	1949.59	68.65	--	13.46	--
23.	सिक्किम	38.00	44.80	44.80	47.20	49.60	34.20	40.00	40.00	42.40	44.80	--	73.86	55.23	--	81.89
24.	तमिलनाडु	825.00	1088.00	1088.00	1142.40	1200.00	500.85	816.00	816.00	856.80	900.00	--	286.91	566.36	--	--
25.	तेलंगाना	333.00	479.20	479.20	503.20	528.00	487.50	359.20	359.20	188.80	584.80#	--	--	--	--	--
26.	त्रिपुरा	38.00	60.80	60.80	63.20	67.20	34.20	54.40	54.40	56.80	60.80	--	12.93	--	--	--
27.	उत्तर प्रदेश	820.00	2062.40	2062.40	2165.60	2273.60	849.30	1546.40	1546.40	812.00	1664.80#	--	--	--	--	--
28.	उत्तराखंड	255.00	832.80	832.80	874.40	918.40	229.50	749.60	749.60	787.20	826.40	--	--	--	--	--
29.	पश्चिम बंगाल	628.00	1078.40	1078.40	1132.80	1189.60	650.40	808.80	808.80	849.60	892.00	958.33	2250.28	350.13	--	--
	कुल योग	**13465.00**	**23186.40**	**23186.40**	**24344.80**	**25565.60**	**10937.62**	**17825.63**	**17747.20**	**16392.80**	**19419.60**	**18530.50**	**8257.09**	**7342.30**	**1524.86**	**869.14**

 # एसडीआरएफ के पिछले वर्ष के बकाया सहित।